राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम

परिचालन दिशानिर्देश

घटक – III : नारियल ताड़ बीमा योजना (सीपीआईएस)

1. योजना की प्रकृति

1.1 नारियल की खेती जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, व्याधि आदि जोखिमों के अधीन होती है और कई बार एक क्षेत्र की संपूर्ण नारियल की खेती, प्राकृतिक आपदा या कीट के कारण नष्ट हो जाती है | नारियल एक बारहमासी फसल है और इस फसल के नुकसान के कारण बुरी तरह हानि से प्रभावित किसानों को भौतिक सामग्री और सम्बोधन की आवश्यकता होती है | इसके अलावा नारियल की खेती वर्षा आधारित व्यवस्था के अंतर्गत की जाती है तथा जैविक व अजैविक प्रभाव के लिए अतिसंवेदनशील है | नारियल की ताड़ को बीमा योजना से कवर कर नारियल के किसानों, मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसान, के समक्ष आने वाले जोखिम को कम करना आवश्यक है।

1.2 नारियल ताड़ बारहमासी फसलें हैं लेकिन ताड़ के पेड़ों की फसल व्यवस्था एवं परिणाम आवधिक प्रणाली की विशेषता है और इसलिए यह मौसमी वार्षिक फसलों से मिलता-जुलता होना चाहिए तथा तदनुसार, बीमा कवर के लिए पात्र भी होना चाहिए |

2. बीमा कंपनी की साझेदारी :

2.1 कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिकृत जर्नल इंश्योरेंस कंपनी सीपीआईएस के प्रावधानों के अनुसार जोखिमों का बीमा / लागू करेगी |

3. राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत योजना :

3.1 यह उत्पाद देश के सभी नारियल उत्पादित राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के लिए उपलब्ध होगा | योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक राज्य सरकार को योजना के लिए चयनित क्षेत्रों / जिलों के साथ इसकी सहमति की सूचना देनी होगी | राज्यों की इस सहमति का तात्पर्य योजना के प्रावधानों का समग्र रूप से पालन करना तथा योजना के संचालन के तौर तरीके और समय-समय पर जारी किए गए अन्य दिशानिर्देशों को स्वीकार करना है |

3.2 राज्य / केंद्रशासित प्रदेश भी निष्पक्ष अनुमानों के आधार पर वित्तीय वर्ष के आरंभ में अधिसूचित क्षेत्र (क्षेत्रों)/जिलों की प्रीमियम सब्सिडी जारी करने के लिए राज्य / केंद्रशासित प्रदेशीय बजट में आवश्यक बजटीय प्रावधान बनाएगा तथा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और अधिसूचित क्षेत्रों / जिलों में विस्तारक कर्मचारियों के बढ़ाव की सुविधा का भी प्रावधान करेगा |

4. कवर किए गए ताड़ उत्पादक :

4.1 सन्निहित क्षेत्र / प्लॉट (भूखंड) में कम से कम पाँच पोषक 'अखरोट' ताड़ का वहन करके प्रस्तावित करने वाले वैयक्तिक किसान / रोपक / उत्पादक बीमा के लिए पात्र होंगे | रोपक/उत्पादक एक सन्निहित क्षेत्र के अंतर्गत सभी योग्य ताड़ का बीमा करवाएगा | सन्निहित क्षेत्र में वृक्षारोपण के आंशिक बीमा की अनुमति है |

4.2 नारियल विकास बोर्ड जिलों के कलस्टर गाँव में सभी धारक तथा पोषक ताड़ का बीमा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा |

5. कवर ताड़ :

5.1 पोषित 'अखरोट' वहन करने वाले सभी किस्मों के नारियल ताड़ अर्थात् लंबा, छोटा, मोनो या इंटरक्रॉप्ड के रूप में उगाए जाने वाले हाइब्रिड, बांध, फार्म या भूमि को कवर किया जा सकता है |

5.2 चार से साठ वर्ष की आयु सीमा में छोटे तथा हाइब्रिड नारियल ताड़ और सात से साठ वर्ष की आयु सीमा में लंबी किस्म के नारियल ताड़ कवर करने के लिए पात्र हैं | अस्वस्थ व कमजोर ताड़ को कवरेज से बाहर रखा जाएगा |

5.3 बीमा प्रस्ताव में बीमाधारक / उत्पादकों द्वारा आयु वर्ग की स्व-घोषणा स्वीकार्य है हालांकि कार्यान्वित एजेंसी (आईए) बीमित ताड़ को किसी भी समय प्रामाणिकता के लिए सत्यापित करवा सकती है तथा बीमा से संबंधित बीमाधारक द्वारा आयु या किसी अन्य भौतिक तथ्य की गलत घोषणा की स्थिति में बीमा अमान्य कर सकती है |

6. कवर जोखिम :

6.1 यह योजना मुख्यत: ताड़ की असमय नष्टता / हानि या अनुपजाऊ ताड़ होने पर निम्नलिखित जोखिम को कवर करती है :-

(i) तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवाती आंधी, बवंडर, भारी बारिश

(ii) बाढ़ आउट जलप्लावन

(iii) कीट और व्यापक प्रकृति के रोग से ताड़ को अप्रतिकार्य क्षति

(iv) जंगल की आग तथा झाड़ी की आग, अपरोहण सहित आकस्मिक आग

(v) भूकंप, भूस्खलन तथा सूनामी

(vi) भयंकर सूखा और परिणामी कुल क्षति

6.2 यह बीमा पॉलिसी बीमित जोखिम मुख्यत: ताड़ के नष्ट होने या इसके अनुपजाऊ होने पर हुए कुल नुकसान का भुगतान करती है | यदि ताड़ तत्काल रूप से नष्ट नहीं हुआ है तो बीमित राशि का भुगतान नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) / कृषि / बागवानी विभाग से प्रमाण पत्र के उत्पादन पर देय होगा, जिसमें ताड़ के अनुपजाऊ घोषित करने का उचित कारण देना होगा | ताड़ को अनुपजाऊ केवल तभी घोषित किया जा सकता है जब तक बीमाकृत आपदा द्वारा उस ताड़ के क्षतिग्रस्त होने के बाद ताड़ का विकास जीर्णोद्धार हो, बशर्ते ताड़ को बीमाकृत द्वारा हटा दिया जाए | यदि किसान/उत्पादक अनुपजाऊ ताड़ को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे वह (आउटफेलिंग के साथ) है, तो बीमित राशि के 50% का निस्तारण मूल्य दावा से काट लिया जाएगा | किसी भी स्थिति में बीमाकृत जोखिम की घटना के लिए ताड़ के नुकसान स्थापित / प्रमाणित करना होगा |

6.3 अपवर्जन :

6.3.1 यदि बीमित आपदा के संचालन के कारण नष्ट ताड़ की संख्या 'फ्रैंचाइज़ी' खंड (बिंदु 9.4) के अंतर्गत होती है तो योजना के अंतर्गत कोई भी दावा देय नहीं किया जाएगा | इस योजना के अंतर्गत बीमित जोखिमों के अतिरिक्त अन्य नुकसान के संबंध में या बीमाकृत व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी व्यय के लिए बीमाकर्ता किसी भी भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा | बीमा कवर के दायरे को ध्यान में रखते हुए, जहां तक वे लागू हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कवर नहीं करता है :-

(क) चोरी, युद्ध, आक्रमण, गृहयुद्ध से हुए नुकसान | विद्रोह, क्रांति, राज्य-द्रोह, सैन्य-द्रोह, लॉक-आउट, विद्वेषपूर्ण क्षति, षड्यन्त्र, सैन्य/उष्मित शक्ति, नागरिक उपद्रव, अधिकरण, मांग अधिग्रहण / विध्वंस / किसी भी सरकारी आदेश से हुए नुकसान, कानूनन / वास्तविक / किसी भी सार्वजनिक / नगरपालिका / स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बिजली संचरण के कारण हुई क्षति |

(ख) परमाणु प्रतिक्रिया, परमाणु प्रतिक्रिया या रेडियोधर्मी संदूषण |

(ग) विमान या अन्य गिरने वाली वस्तुओं के कारण प्रभावी क्षति |

(घ) बीमाधारक की जानबूझकर की गई लापरवाही और उसकी ओर से अन्य कोई कार्य |

(ङ) मानव, पक्षी या अन्य जानवर के कारण हुए नुकसान |

(च) ताड़ का अनुचित रख-रखाव |

(छ) ताड़ के अस्वस्थ व जराजन्य होने के कारण |

(ज) ताड़ की प्राकृतिक नष्टता, जड़ की उत्कीर्णता के लिए ताड़ का उन्मूलन |

(झ) पूंजीगत निवेश का नुकसान जैसे भूमि की लागत में कमी या बीमित ताड़, सिंचाई प्रणाली, कृषि उपकरणों या कार्यान्वयन का समर्थन करने वाली संरचनाओं को क्षति।

7. बीमा राशि तथा प्रीमियम :

नारियल ताड़ बीमा के अंतर्गत बीमा राशि तथा प्रीमियम विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार निम्नानुसार होगा :

नारियल ताड़ की आयु (वर्षों में)	प्रति ताड़ बीमा राशि (रु.)	प्रति पौधा/वर्ष प्रीमियम (रु.)
4वां ---- 15वां	900	9.00
16वां ---- 60वां	1750	14.0

8. प्रीमियम सब्सिडी :

8.1 प्रीमियम पर, नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) द्वारा 50% सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा और संबंधित राज्य सरकार द्वारा 25% और शेष राशि का 25% प्रीमियम किसान / उत्पादक द्वारा भुगतान किया जाएगा। यदि, राज्य सरकार प्रीमियम का 25% हिस्सा वहन करने के लिए सहमत नहीं है, तो किसानों / उत्पादक बीमा योजना में इच्छुक है किसानों/उत्पादकों को 50% प्रीमियम का भुगतान करना होगा |

8.2 यदि कुछ बागवान/उत्पादक की संस्था/एसोसिएशन बागवान /उत्पादक की ओर से प्रीमियम वहाँ करने के इच्छुक है यदि एसोसिएशन के पास 'बीमा योग्य ब्याज' है तो वह ऐसा कर सकती हैं हालांकि, किसी भी स्थिति में, बागवानों / उत्पादकों को न्यूनतम 10% प्रीमियम वहन करना होगा।

8.3 प्रीमियम सब्सिडी राशि (50% सीडीबी तथा 25% हिस्सा राज्य द्वारा) मूल्यांकन के आधार पर अग्रिम रूप में IA को जारी की जाएगी, जिसकी तिमाही / वार्षिक आधार पर प्रतिपूर्ति / समायोजित की जाएगा।

9. बीमा की अवधि / शर्तें :

9.1 पॉलिसी वार्षिक आधार पर जारी की जा सकती हैं। तथापि उत्पादक/किसान एक पॉलिसी अधिकतम तीन वर्षों के लिए प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए प्रीमियम में दो साल की पॉलिसी के लिए 7.5% और तीन साल की पॉलिसी के लिए 12.5% की छूट बागवानों / उत्पादकों को प्रदान की जाएगी।

9.2 बागवान / उत्पादक वर्ष के दौरान किसी भी समय योजना में शामिल हो सकते हैं। हालाँकि, 31 मार्च तक सभी पात्र किसानों / उत्पादकों का बीमा हो जाना चाहिए। यदि किसान/उत्पादक 31 मार्च के बाद इस योजना से जुडते हैं तो जोखिम को अनुवर्ती माह के पहले दिन से कवर किया जाएगा |

9.3 हालांकि, बीमा की शुरुआत के 30 दिनों के भीतर ताड़ की हानि/नष्ट होने पर दावा योजना के अंतर्गत देय नहीं है, लेकिन यह शर्त पॉलिसी की समाप्ति से पहले बीमा के नवीनीकरण के लिए लागू नहीं है (अर्थात् बिना समय अंतराल के) |

9.4 दावा किया जाता है कि केवल ताड़ की संख्या क्षतिग्रस्त होने पर, बीमित राशि के कारण, एक आकस्मिक क्षेत्र में, विभिन्न स्लैब के लिए दिखाए गए ताड़ की तुलना में अधिक है :

क्र. सं.	संक्रामक क्षेत्र में बीमित ताड़ की संख्या	सुविधा (नष्ट ताड़)
1.	10-30	1
2.	31-100	2
3.	>100	3

10. बीमा पॉलिसी के मामले :

10.1 नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) के माध्यम से, सीधा प्रतिनिधियों से/ क्रियान्वयन एजेंसी के अधिकृत एजेंट या एग्रीकल्चर के निकटतम कार्यालय / बागवानी विभाग या नारियल उत्पादकों या सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत किसान सोसायटी या सीडीबी से पंजीकृत कराकर बीमा कराया जा सकता है |

10.2 वे किसान जो अपने ताड़ का बीमा कराने के इच्छुक हैं वे कृषि विभाग / सीडीबी / बागवानी विभाग को निम्नलिखित दस्तावेज़, जैसे भी हो, जमा करें :

(1) प्रीमियम राशि के साथ प्रस्ताव प्रपत्र (विशेषत: डीडी)

(2) बहु-अभिलेख / वृक्षारोपण का प्रमाण या या कृषि विभाग / सीडीबी / बागवानी विभाग को राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र, प्रत्येक राज्य में अभ्यास करने पर दिया जाता है |

(3) किसान द्वारा स्वस्थ ताड़ के बीमा करने की घोषणापत्र दिया जाए |

(4) प्रत्येक प्लॉट की भूमि की पहचान संख्या और ताड़ की संख्या, जो विशेषत: क्रमांकित हो, के साथ वृक्षारोपण का एक अपरिष्कृत स्केच |

10.3 प्रीमियम का भुगतान रोपक/किसान द्वारा नकद, चेक / बैंक ड्राफ्ट, समायोजित प्रीमियम सब्सिडी, के माध्यम से क्रियान्वयन एजेंसी के पक्ष में तैयार कर किया जाए |

10.4 बीमा / कवर नोट का प्रमाण पत्र क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा सभी व्यक्तिगत बीमित किसानों / उत्पादकों को, अपेक्षित प्रीमियम से 30 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।

10.5 क्रियान्वयन एजेंसी त्रैमासिक आधार पर बीमित किसानों / उत्पादकों की समेकित सूची को नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) और कृषि विभाग, भारत सरकार को जिलावार प्रस्तुत करेगी।

11. दावा निर्धारण एवं निपटान प्रक्रिया :

11.1 बीमित ताड़ के नुकसान की सूचना बीमित किसानों / उत्पादकों द्वारा बीमित एजेंसी को सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ जोखिम की घटना से पंद्रह दिनों के भीतर देनी होगी।

11.2 नुकसान मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा फसल का निरीक्षण किए जाने तक किसान क्षतिग्रस्त / नष्ट ताड़ को न तो हिलाएगा और न हटाएगा |

11.3 जब तक कार्यान्वयन एजेंसी अपना स्वयं का कॉल सेंटर स्थापित नहीं करती है तब तक संबंधित राज्य सरकार के कॉल सेंटरों के माध्यम से भी दावे की सूचना दी जा सकती है।

11.4 प्रत्येक जिले के लिए क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में अधिकृत नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) /कृषि/बागवानी विभाग/राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू) द्वारा हानि मूल्यांकन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो हानि सूचना से पंद्रह दिनों के भीतर ताड़ के नुकसान के कारण को उचित ठहराएगा।

11.5 क्रियान्वयन एजेंसी अपने निर्णय को हानि प्रमाणित करने के लिए निर्दिष्ट एजेंसी के साथ संयुक्त रूप से नुकसान का निर्धारण करने के लिए ने प्रतिनिधियों को भेज सकती है |

11.6 क्रियान्वयन एजेंसी दावे से संबंधित सभी प्रासंगिक प्रमाणित विवरण अपने कार्यालय में प्राप्त करने की तिथि के एक माह के भीतर रोपक / किसान को दावा जारी करेगा | हालाँकि दावा राशि का निवारण सीडीबी, संबंधित राज्य और एसोसिएशन / सोसायटी, जहां भी लागू हो, से प्रीमियम सब्सिडी प्राप्त करने के अधीन/आधार पर किया जाता है |

11.7 एक बार दावा का पूरा भगतान होने के बाद बीमा समाप्त हो जाता है |

12. सेवा शुल्क :

12.1 क्रियान्वयन एजेंसी कृषि / बागवानी विभाग को किसानों / उत्पादकों (अर्थात् केवल किसानों के शेयर पर) से उनके द्वारा प्राप्त की गए प्रीमियम का 7.5% प्रति दर से भुगतान करेगी |

12.2 कृषि / बागवानी विभाग या राज्य कृषि विश्वविद्यालय (SAU) जो नुकसान के प्रमाणीकरण में शामिल हैं, उन्हें संबंधित एजेंसी और क्रियान्वयन एजेंसी के बीच पारस्परिक रूप से सहमत दर पर सेवा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

12.3 ये सेवा शुल्क क्रियान्वयन एजेंसी और भारत सरकार / सीडीबी के बीच समान रूप से साझा किए जाएंगे।

13. प्रचार और जागरूकता :

13.1 इस योजना को अधिसूचित जिलों / क्षेत्रों के सभी गांवों में पर्याप्त प्रचार की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया, किसानों के मेले, एसएमएस संदेश, लघु फिल्म व डॉक्यूमेंट्री सहित प्रदर्शनियों के सभी संभावित साधनों का उपयोग योजना को लागू करने में शामिल किसानों/उत्पादकों तथा एजेंसियों के बीच योजना की जागरूकता पैदा करने, योजना के लाभ तथा उसकी सीमाओं को बनाने और योजना का प्रसार करने के लिए किया जाएगा | नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) और क्रियान्वयन एजेंसी के साथ सहभागिता में राज्य के कृषि / बागवानी विभाग किसानों / उत्पादकों के बीच पर्याप्त जागरूकता लाने और उसका प्रचार के लिए उपयुक्त योजना पर कार्य करेगा।

13.2 राज्य सरकार सीडीबी और क्रियान्वयन एजेंसी के समर्थन में योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संबंधित सरकारी अधिकारी आदि के क्षमता निर्माण के लिए योजना तैयार करेगी और उनके लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं / जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करेगी।

14. निगरानी क्रियाविधि :

14.1 सभी कार्यान्वित राज्यों में योजना की प्रगति की निगरानी के लिए सीडीबी, क्रियान्वयन एजेंसी और राज्य कृषि / बागवानी विभाग के प्रतिनिधियों से मिलकर राज्य स्तरीय निगरानी समिति की स्थापना की जाएगी। इस समिति की बैठक कम से कम तिमाही में एक बार होगी, ताकि हुई प्रगति की समीक्षा की जा सके और इस योजना को प्रचलित करने के सुझाव दिए जा सकें |

14.2 कृषि मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा प्रत्येक वर्ष के अंत में कार्यान्वित राज्यों, नारियल विकास बोर्ड और क्रियान्वयन एजेंसी की सहभागिता से योजना की वार्षिक समीक्षा की जाएगी।

15. सेवा कर :

15.1 सीपीआई को सेवा कर के भुगतान से छूट है।

16. विभिन्न एजेंसियों की भूमिकाएं :

16.1 योजना के सफल कार्यान्वयन और प्रबंध व्यवस्था के लिए विभिन्न एजेंसियों/संस्थाओं/सरकारी विभागों/समितियों की भूमिकाएं यहां बताई जाती हैं।

16.2 केंद्र सरकार की भूमिका और उत्तरदायित्व :

I. सीपीआई के कार्यान्वयन के लिए "सहमति" देने और समग्र तथा प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वय करना।

II. योजना के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर आवश्यक दिशानिर्देश और सूचना जारी करना।

III. पिछले वर्ष की प्रगति के आधार पर फसल के मौसम की शुरुआत में क्रियान्वयन एजेंसी को प्रीमियम सब्सिडी जारी करना, उनके द्वारा प्रस्तुत उचित अनुमानों को ध्यान में रखते हुए, और अंतिम सब्सिडी के आंकड़ों के

प्रस्तुतीकरण के आधार पर वर्ष के लिए वास्तविक प्रीमियम सब्सिडी का संतुलन तय करना ताकि कंपनी लाभार्थी किसानों/उत्पादकों को दावे जारी कर सके।

IV. आवश्यकतानुसार क्रियान्वयन एजेंसी और / या सीडीबी / राज्य सरकार से समीक्षा रिपोर्ट के लिए कॉल करना, और अनुशंसित आशोधन / सुधारों पर भी विचार करना।

V. कृषक समुदाय के बीच इस योजना से संबंधित व्यापक जागरूकता और प्रचार करना।

VI. राज्य सरकार के अधिकारियों और अन्य शेयरधारकों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग / कार्यशालाओं का आयोजन करना।

VII. योजना के किसी भी प्रावधान की व्याख्या करना और दावों के निपटान में किसी भी वाद-विवाद पर निर्णय लेना।

16.3राज्य सरकार / केंद्रशासित क्षेत्रीय प्रशासन की भूमिका तथा उत्तरदायित्व :

I. भारत सरकार / सीडीबी को लिखित रूप में सीपीआई कार्यान्वयन के लिए अपनी "सहमति" देना और सीपीआई और परिचालन तौर-तरीकों के प्रावधानों को स्वीकार करना |

II. योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण समिति का गठन करना।

III. योजना के कार्यान्वयन में शामिल सभी एजेंसियों / संस्थानों / सरकारी विभागों / समितियों को आवश्यक निर्देश जारी करना।

IV. योजना के अंतर्गत नारियल ताड़ के कवर के लिए क्षेत्रों / जिलों को सूचित करना |

V. कृषि/बागवानी निदेशालय और राज्य कृषि विश्वविद्यालय से क्रियान्वयन एजेंसी को आवश्यक जानकारी प्रदान करने की सुविधा प्रदान करना, जैसा कि दावों आदि के काम करने के लिए आवश्यक है।

VI. क्रियान्वयन एजेंसी को प्रीमियम सब्सिडी के अपने योगदान को जारी करने के लिए, उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए उचित आकलन के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में और बीमा कंपनी द्वारा अंतिम आंकड़े प्रस्तुत करते ही वर्ष के वास्तविक प्रीमियम सब्सिडी की शेष राशि का निपटान करना।

VII. ताड़ उत्पादकों के कवरेज को अधिकतम करने के लिए कृषि और विस्तार विभागों के माध्यम से कृषक समुदाय/उत्पादकों के बीच योजना की व्यापक जागरूकता लाना और उसका प्रचार करना |

VIII. सीपीआईएस और जारी कवर नोट के अंतर्गत नारियल ताड़ को कवर करने के लिए क्रियान्वयन एजेंसी की ओर से बीमा प्रीमियम एकत्र करने के लिए राज्य बागवानी विभाग के अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करना |

IX. व्यक्तिगत बीमित किसानों/उत्पादकों के ताड़ के नुकसान के आकलन के लिए बागवानी विभाग/जिला प्रशासन या राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू) के अधिकारियों के माध्यम से बीमा कंपनी की सहायता करना और दावा निपटान के लिए बीमा एजंसी को आवश्यक हानि प्रमाण पत्र जारी करना।

16.4 नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) की भूमिका और उत्तरदायित्व :

I. सीपीआई और जारी कवर नोट के अंतर्गत नारियल ताड़ की कवरेज के लिए बीमा एजेसी की ओर से बीमा प्रीमियम एकत्र करना |

II. बीमित जोखिमों के कारण हुई ताड़ की क्षति / नुकसान का आकलन करना और दावों के निपटान के लिए आवश्यक नुकसान आकलन प्रमाण पत्र प्रदान करना।

III. योजना के तहत नारियल हथेलियों की कवरेज के लिए आईए को आवश्यक इनपुट और सहायता प्रदान करना |

IV. कृषक समुदाय में इस योजना से संबंधित व्यापक जागरूकता लाना और प्रचार करना।

V. राज्य सरकार के अधिकारियों और अन्य शेयरधारकों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग / कार्यशालाएं आयोजित करना।

16.5 कार्यान्वित एजेंसी (इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड) की भूमिका एवं उत्तरदायित्व :

I. बीमा कंपनी राज्य सरकारों, भारत सरकार और सीडीबी तथा सीपीआई के कार्यान्वयन में शामिल समितियों के साथ संपर्क स्थापित करती है |

II. बीमा लेखन - जोखिम प्रसंस्करण और स्वीकृति का उत्तरदायित्व |

III. अधिकृत एजेंसियों से हानि प्रमाण पत्र प्राप्त होने और उस पर अनुमोदन प्राप्त करने के पंद्रह दिनों के भीतर दावा प्रोसेस करना और अंतिम रूप देना।

IV. पुनर्बीमा : राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संपर्क/बातचीत की व्यवस्था करना |

V. सीपीआईएस के कार्यान्वयन की समीक्षा और भारत सरकार और सीडीबी को इसके प्रभावी कार्यान्वयन / सुधार के लिए नियमित प्रतिक्रिया देना |

VI. योजना को लागू करने के लिए संबंधित एजेंसियों को कमीशन / सेवा शुल्क का भुगतान सुनिश्चित करना |

VII. जागरूकता और प्रचार – ताड़ उत्पादक के एसोसिएशन आदि सहित सीपीआईएस से संबंधित क्षेत्र स्तरीय पर जागरूक करना और प्रचार करने का व्यापक प्रयास करना।

VIII. योजना से संबंधित जागरूकता और प्रचार के लिए भारत सरकार, राज्यों, सीडीबी और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

IX. केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों तथा सीडीबी द्वारा मांगी गई मासिक प्रगति विवरणियाँ / आंकड़े या कोई भी जानकारी उपलब्ध कराना।

X. सभी अपेक्षित विवरणों के साथ बीमित किसानों / उत्पादकों और लाभार्थियों की सूची प्राप्त करना तथा इसे समय पर अपनी वेबसाइट में उचित तरह से अपलोड करना।

XI. एक माह के भीतर सभी सार्वजनिक शिकायतों का निवारण करना |

....